न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **31/2022 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री भजाराम गुर्जर पुत्र भोला गुर्जर निवासी तगारिया पोस्ट धुंवाला, तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा।

——अपीलार्थी

बनाम

1. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), भीलवाड़ा
2. लोक सूचना अधिकारी व उपखण्ड अधिकारी, करेडा।

——प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उपस्थित :–प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक :27.04.2022

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा तथा लोक सूचना अधिकारी व उपखण्ड अधिकारी, करेडा के विरूद्ध दिनांक 24.03.2022 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर संख्या 47 एफ 019523 राशि 10.00 रूपये के साथ एक आवेदन दिनांक 28.01.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा को प्रेषित किया तथा आवेदन पत्र से वांछित आंशिक सूचना लोक सूचना अधिकारी व उपखण्ड अधिकारी, करेडा से संबंधित होने से आवेदन लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, करेडा को भी अंतरित किया गया।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 04.04.2022 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 1 लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा द्वारा उनके पत्रांक सू0क0अ0प्रकोष्ठ/2022/20113 दिनांक 18.04.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं –

1. अपीलार्थी द्वारा आवेदन–पत्र में चाही गयी सूचना कुल पृष्ठ संख्या 23 जिसकी कुल प्रतिलिपि शुल्क राशि 46/– रूपये नियमानुसार कार्यालय में जमा कराके सूचना प्रापत करने हेतु सूचना का अधिकार अनुभाग के पत्रांक 20038 दिनांक 10.02.2022 से अपीलार्थी को सूचित किया गया जिसके संदर्भ में अपीलार्थी ने कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर प्रतिलिपि शुल्क राशि 46/– रूपये नियमानुसार कार्यालय में जमा कराकर सूचना प्राप्त की जिसकी प्राप्ति रसीद स्वयं के हस्ताक्षर कर दी।

प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।